ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ केनरा बैंक Canara Bank
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ सिंडिकेट Syndicate

सीबी/ एटी/2025

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्नातक शिक्षुओं की नियुक्ति

केनरा बैंक, एक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक जिसका प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में स्थित है तथा जिसकी 9800 से अधिक शाखाएँ वैश्विक स्तर पर विद्यमान है, योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

"वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत स्नातक शिक्षुओं की नियुक्ति"

बैंक में शिक्षुता के लिए आवेदन करने से पहले शिक्षुता पोर्टल https://nats.education.gov.in पर पंजीकरण करना आवश्यक है। केवल शिक्षुता पोर्टल पर 100% पूर्ण प्रोफ़ाइल वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं । **आवेदन का कोई अन्य साधन/विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।** कृपया इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।

महत्वपूर्ण तिथियां	
zआयोजन	**तिथि**
बैंक में शिक्षुता के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को शिक्षुता पोर्टल https://nats.education.gov.in पर पंजीकरण करना आवश्यक है। केवल शिक्षुता पोर्टल पर 100% पूर्ण प्रोफ़ाइल वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं।	यदि पहले पंजीकरण नहीं किया गया है तो **22.09.2025** के बाद पंजीकरण करना होगा।
वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आरंभिक तिथि और अंतिम तिथि	**23.09.2025 to 12.10.2025** [दोनों दिन सम्मिलित]

1. प्रशिक्षण सीटों का विवरण

प्रशिक्षण सीटों की संख्या	3500

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्थानीय भाषा	प्रशिक्षण सीटों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	जिसमें से			
								एचआई	ओसी	वीआई	आईडी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह-संघ राज्य	हिंदी / अंग्रेजी	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	तेलुगु/उर्दू	242	38	16	65	24	99	3	2	2	2
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेज़ी	5	0	2	0	0	3	0	0	0	0
असम	असमिया/बंगाली/बोडो	42	2	5	11	4	20	1	0	0	0
बिहार	हिंदी/उर्दू	119	19	1	32	11	56	1	1	1	1

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्थानीय भाषा	प्रशिक्षण सीटों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईड ब्ल्यू एस	अनारक्षित	जिसमें से			
								एचआई	ओ सी	वी आई	आई डी
चंडीगढ़-संघ राज्य	हिंदी/पंजाबी	6	1	0	1	0	4	0	0	0	0
छत्तीसगढ	हिंदी	40	4	12	2	4	18	0	1	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव-संघ राज्य	गुजराती	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
दिल्ली	हिंदी	94	14	7	25	9	39	1	1	1	0
गोवा	कोंकणी	26	0	3	4	2	17	1	0	0	0
गुजरात	गुजराती	87	6	13	23	8	37	1	1	1	0
हरियाणा	हिंदी/पंजाबी	111	21	0	29	11	50	1	1	1	1
हिमाचल प्रदेश	हिंदी	23	5	0	4	2	12	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	उर्दू/हिंदी	16	1	1	4	1	9	0	0	0	0
झारखंड	हिंदी/संथाली	73	8	18	8	7	32	0	1	1	0
कर्नाटक	कन्नडा	591	94	41	159	59	238	6	6	6	5
केरल	मलयालम	243	24	2	65	24	128	2	3	2	2
लक्षद्वीप-संघ राज्य	मलयालम	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	हिंदी	111	16	22	16	11	46	1	1	1	1
महाराष्ट्र	मराठी	201	20	18	54	20	89	2	2	2	2
मणिपुर	मणिपुरी/अंग्रेजी	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
मेघालय	अंग्रेजी/गारो/खासी	6	0	2	0	0	4	0	0	0	0
मिजोरम	मिज़ो	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
नगालैंड	अंग्रेज़ी	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
ओडिशा	उड़िया	105	16	23	12	10	44	1	1	1	1
पुदुच्चेरी-संघ राज्य	तामिल	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
पंजाब	पंजाबी/हिंदी	97	28	0	20	9	40	1	1	1	0
राजस्थान	हिंदी	95	16	12	19	9	39	1	1	1	0
सिक्किम	नेपाली/अंग्रेजी	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
तमिलनाडु	तामिल	394	74	3	106	39	172	4	4	4	3
तेलंगाना	तेलुगु/उर्दू	132	21	9	35	13	54	1	1	2	1
त्रिपुरा	बंगाली/कोकबोरोक	7	1	2	0	0	4	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	हिंदी/उर्दू	410	86	4	110	41	169	4	4	4	4
उत्तराखंड	हिंदी	48	8	1	6	4	29	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	बंगाली/नेपाली	150	34	7	33	15	61	2	2	1	1
कुल		3500	557	227	845	337	1534	34	34	33	24

*उपर्युक्त प्रशिक्षण सीटों की संख्या अनंतिम है तथा बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

संकेताक्षरों का पूरा रूप है : एससी - अनुसूचित जाति; एसटी - अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर - अनारक्षित श्रेणी; **पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क**

दिव्यांगता वाले व्यक्ति) श्रेणी; वीआई - दृष्टि बाधित; एचआई - श्रवण बाधित; ओसी - अस्थि दिव्यांग, आईडी - बौद्धिक दिव्यांगता।

कृपया नोट करें कि:

a) इस परियोजना के तहत अभ्यर्थी केवल एक राज्य में प्रशिक्षण सीट का विकल्प चुन सकते हैं। अभ्यर्थियों को चयनित राज्य के सभी जिलों के लिए अपनी वरीयता क्रम देने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, आवंटन बैंक की आवश्यकता के आधार पर और संबंधित जिलों में प्रशिक्षण सीटों की उपलब्धता के अधीन होगा।

b) **बैंक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित राज्य के किसी भी जिले में प्रशिक्षण सीट आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

c) आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता की तिथि तक प्रशिक्षण सीटों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

d) अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in → करियर → भर्ती → वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत केनरा बैंक में स्नातक शिक्षुओं की भर्ती पर विवरण और अद्यतन के लिए जांचने की सलाह दी जाती है।

2. पात्रता मानदंड और अन्य विवरण :

पात्रता हेतु गणना की तिथि	सभी पात्रता (आयु, योग्यता, आदि) की गणना 01.09.2025 (समावेशी) के अनुसार की जाएगी।
आयु	पात्रता हेतु गणना की तिथि को न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01.09.1997 से पहले तथा 01.09.2005 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों दिन सम्मिलित)। **ऊपरी आयु सीमा में छूट:**

क्रम सं.	वर्ग	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
4	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है	सामान्य/ ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा में 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष तथा एससी/ एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट
5	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। **अभ्यर्थियों को 01.01.2022** से **पहले तथा 01.09.2025 के बाद स्नातक उत्तीर्ण नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों दिन सम्मिलित)।**
स्थानीय भाषा की परीक्षा	जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें स्थानीय भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में स्थानीय भाषा के ज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह तब आयोजित की जाएगी जब अभ्यर्थी को बैंक द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उन्हें शिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
शारीरिक/चिकित्सीय फिटनेस	चयनित शिक्षुओं की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है।

नोट:

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर दी जाएगी, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए, जिसके लिए आयु में छूट दी गई है, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या *3* और *5* में उल्लिखित है।

(ii) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

(iii) आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण/दस्तावेज़ सत्यापन के समय तथा बैंक द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी फोटो प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(iv) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण क्षैतिज है तथा राज्य के लिए समग्र प्रशिक्षण रिक्तियों के अंतर्गत है।

(v) किसी भी भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक को शिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा शिक्षु नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(vi) अभ्यर्थी ने पहले कभी केनरा बैंक या किसी अन्य संगठन से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण नहीं लिया हो या समय-समय पर संशोधित शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या अभ्यर्थी की स्वयं की गलती के कारण अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के बीच में ही प्रशिक्षण समाप्त नहीं किया गया हो।

(vii) जिन अभ्यर्थियों ने शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या एक या अधिक वर्षों का नौकरी का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वे शिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(viii) अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति ⁄ अनुसूचित जनजाति ⁄ अन्य पिछड़ा वर्ग ⁄ दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति ⁄श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत ।

(ix) ओबीसी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है, जो भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए। अभ्यर्थी के पास

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-क्रीमी लेयर खंड सहित एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

<u>आरक्षण</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण – सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार

<u>बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण</u>

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के पात्र हैं। यह पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित और समय-समय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित, दिव्यांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है।

A. दृष्टि बाधित (''वीआई'' श्रेणी):
केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

a. अंधापन:
- i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- ii. सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या
- iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण तक सीमित या

b. कम दृष्टि:
- i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं या 20/60 से कम नहीं, 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक, बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या
- ii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाती है।

B. श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी):

a. बधिर:
इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि हो।

b. सुनने में कठिनाई:
इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

C. अस्थि दिव्यांग/ गति दिव्यांगता ("ओसी" / "एलडी") श्रेणी:

किसी व्यक्ति की स्वयं की और किसी वस्तु से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की बीमारी के परिणामस्वरूप होती है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक होना, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड हमले के पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) शामिल है, जिसमें कोई भी संबंधित न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार नहीं है। अस्थि दिव्यांग व्यक्ति लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं:

a. "**कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है:

   i. हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में भी संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं।

   ii. स्पष्ट रूप से विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें।

   iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अधिक आयु के कारण कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने में असमर्थ है, तथा "कुष्ठ रोग ठीक हो जाना" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

b. **"सेरेब्रल पाल्सी"** का अर्थ गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को हुए नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

c. "**बौनापन**" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

d. "**मांसपेशी डिस्ट्रॉफी**" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और लुप्त जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;

e. "**एसिड हमले के पीड़ित**" से तात्पर्य एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत हुए व्यक्ति से है।

D. बौद्धिक दिव्यांगता ("आईडी" श्रेणी):

केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

a. **"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार" (एएसडी)** इसका अर्थ है एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

b. **"विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता" (एसएलडी)** इसका अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक दिव्यांगता, डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

c. **"मानसिक बीमारी" (एमआई)** इसका अर्थ है सोच, मनोदशा, प्रत्यक्षीकरण, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा सारवान विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है।

E. "बहु दिव्यांगता" से तात्पर्य उपरोक्त खंड "ए"; "बी"; "सी"; "डी" में से एकाधिक दिव्यांगता से है।

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता " का अर्थ है निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम 40% वाला व्यक्ति, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वे दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहाँ दिव्यांगता को मापने योग्य शब्द में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा।

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित अनुसार और वास्तविक रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू नहीं है। यह आरक्षण केवल भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी दिनांक 19.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/2023-Estt. (ResII) के अनुसार अपरिवर्तनीय स्थायी दिव्यांगता वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए है।

बेंचमार्क/ निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी दिशानिर्देश समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण के अधीन हैं।

<u>ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग):</u>

a) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु.8.00 लाख (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचान से बाहर रखा जाएगा:
   - 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
   - 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
   - अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
   - अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

b) ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न जगहों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।

c) ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।

d) इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

e) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

नोट: ये दिशानिर्देश भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

3. अन्य नियम व शर्तें:

शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि	शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 12 माह होगी।
प्रशिक्षण का स्थान	पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या के अनुसार चयनित शाखाओं में अभ्यर्थियों को ऑन-जॉब प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रोफ़ाइल	शिक्षु **नोट**: शिक्षु के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को केनरा बैंक के "कर्मचारी" के रूप में नहीं माना जाएगा और वे बैंक के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।
शिक्षुता संविदा	योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल https://nats.education.gov.in के माध्यम से डिजिटल अप्रेंटिसशिप संविदा जारी किया जाएगा। बैंक से डिजिटल अप्रेंटिसशिप संविदा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एनएटीएस (NATS) पोर्टल पर इसे स्वीकार करना आवश्यक है। किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षु के रूप में तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह बैंक के साथ शिक्षुता संविदा पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं और एनएटीएस पोर्टल पर उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।
वृत्ति (स्टाइपेंड)	शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शिक्षु को रु.15,000/- का मासिक वृत्ति (भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि, यदि कोई हो, सहित) दिया जाएगा। शिक्षु किसी अन्य भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। केनरा बैंक मासिक आधार पर शिक्षु ओं के खाते में रु.10,500/- का भुगतान करेगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, रु.4500 रुपये के वृत्ति का सरकारी हिस्सा सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से शिक्षु ओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। वेतन हानि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद शिक्षु ओं को हर महीने वृत्ति दिया जाएगा।
कार्य के घंटे	शिक्षु को बैंक के लिपिकीय संवर्ग के लिए लागू कार्य घंटों के दौरान ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) प्रदान की जाएगी।

ओवरटाइम	किसी भी शिक्षु को शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। सलाहकार तब तक ऐसा अनुमोदन नहीं देगा, जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा ओवरटाइम शिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या सार्वजनिक हित में है।
छुट्टी	शिक्षु एक माह का शिक्षुता प्रशिक्षण पूरी करने पर एक आकस्मिक अवकाश और एक वर्ष में कुल 12 आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। शिक्षु ओं के लिए किसी अन्य प्रकार का अवकाश लागू नहीं होगा। शिक्षु एक समय में केवल 4 आकस्मिक अवकाश ही ले सकते हैं। यदि कोई अवकाश संचित है, तो वह संविदा की समाप्ति/पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।
छुट्टियां	शिक्षु को उस बैंक में मिलने वाली छुट्टियों का अधिकार होगा जहाँ वह शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
आचरण और अनुशासन	नियुक्ति अवधि के दौरान शिक्षु द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के मामले में, बैंक नियुक्ति संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शिक्षुओं को किसी भी संघ निकाय में शामिल होने/गठन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
शिक्षुता संविदा की समाप्ति	शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा का कोई भी पक्ष संविदा की समाप्ति के लिए शिक्षुता सलाहकार को आवेदन कर सकते हैं। यदि शिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण/कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि पर बैंक के प्रशिक्षण स्थल/बैंक शाखा में उपस्थित नहीं होता है, तो शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शिक्षुता के दौरान, यदि शिक्षु किसी दुर्व्यवहार/अवज्ञा/असंतोषजनक कार्यनिष्पादन/बैंक के हित के प्रतिकूल किसी अन्य कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो बैंक द्वारा 7 दिनों का नोटिस देकर संविदा समाप्त किया जा सकता है।
प्रमाणपत्र	शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षुओं को एनएटीएस-संयुक्त प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।
अन्य सूचना	• श्रम से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधान जैसे कि पीएफ, ईएसआई, बोनस, ऐसे शिक्षुता संविदा पर या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे। • बैंक का शिक्षुता प्रशिक्षण के दौरान और/या उसके पूरा होने के बाद शिक्षु ओं को नियमित रोजगार प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं होगा। शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा। • शिक्षुओं की नियुक्ति के परिणाम की तिथि या अगली नियुक्ति प्रक्रिया, जो भी पहले हो से एक वर्ष तक प्रतीक्षा सूची (राज्य-श्रेणीवार) रखी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन, इस प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही नियुक्ति से मुक्त किया जाएगा।

4. पंजीकरण प्रक्रिया:

बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल https://nats.education.gov.in पर पंजीकरण करना आवश्यक है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, नामांकन संख्या उत्पन्न होगी, जिसे अभ्यर्थियों को भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर 100% पूर्ण प्रोफ़ाइल वाला अभ्यर्थी बैंक में शिक्षु के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

5. चयन प्रक्रिया*:*

अभ्यर्थी को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in → करियर → भर्ती → वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत केनरा बैंक में स्नातक शिक्षुओं की नियुक्ति पर जाकर पंजीकरण करना आवश्यक है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 12वीं कक्षा (एचएससी/10+2)/डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों/प्रतिशत के आधार पर राज्यवार अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रतिशत समान हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी आयु के अनुसार मेरिट में अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।

न्यूनतम योग्यता अंक 60% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 55%), 12 वीं कक्षा (एचएससी / 10 + 2) / डिप्लोमा परीक्षा में , से कम नहीं होने चाहिए। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा, अर्थात 59.99% को 60% से कम माना जाएगा और 54.99% को 55% से कम माना जाएगा और उसे विषय चयन प्रक्रिया के लिए अयोग्य/अनुपयुक्त माना जाएगा।

जहां सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए, अभ्यर्थी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाएगा कि ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने के संबंध में बोर्ड/विश्वविद्यालय के मानदंड और मानदंडों के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूरा किया गया है।

प्रतिशत अंक अभ्यर्थी द्वारा सभी सेमेस्टर/वर्ष में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को कुल अधिकतम अंकों (सभी विषयों में) से विभाजित करके और 100 से गुणा करके प्राप्त किए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर, आवेदन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज़ संग्रहण और स्थानीय भाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

अंतिम चयन निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. प्रशिक्षण सीट के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन ।
ii. जहां लागू हो, वहां चयनित राज्य के लिए स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करना।
iii. बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया जाना चाहिए।

6. आवेदन शुल्क एवं सूचना प्रभार (जीएसटी सहित):

बैंक के पोर्टल पर शिक्षु पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार

वर्ग	शुल्क / सूचना प्रभार की राशि [गैर-वापसी योग्य]
एससी/एसटी/दिव्यांग	शून्य
अन्य सभी	रु. 500/- (सूचना प्रभार सहित)

7. आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर दिए गए लिंक→ करियर → भर्ती → वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत केनरा बैंक में स्नातक शिक्षुओं की नियुक्ति के माध्यम से 23.09.2025 से 12.10.2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण सीटों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को एनएटीएस (NATS) पोर्टल पर आवेदन करने के बाद प्राप्त अपनी नामांकन आईडी का उल्लेख करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्व-आवश्यकताएँ:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि-

a) स्कैन करें:

- फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
- हस्ताक्षर
- बाएं अंगूठे का निशान (यदि किसी अभ्यर्थी के पास बाएं अंगूठे नहीं है, तो वे अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकते हैं। यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं, तो तर्जनी से शुरू करके बाएं हाथ की उंगलियों में से एक का निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएं हाथ पर कोई उंगलियां नहीं हैं, तो तर्जनी से शुरू करके दाहिने हाथ की उंगलियों में से एक का निशान लिया जाना चाहिए। यदि कोई भी उंगलियां नहीं हैं, तो बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, अभ्यर्थी को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में उंगली का नाम और बाएं / दाएं हाथ या पैर के अंगूठे का विवरण निर्दिष्ट करना चाहिए)।
- हस्तलिखित घोषणा (नीचे दिया गया पाठ) {जो अभ्यर्थी लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा लें और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (यदि हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं) लगाएं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें}। यह सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस अधिसूचना में दिए गए अपेक्षित विनिर्देशों का पालन करते हैं।

b) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

c) फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा/ उचित रूप से स्कैन की जानी चाहिए तथा धूमिल/धुंधली नहीं होनी चाहिए।

d) हस्तलिखित घोषणा का विषय इस प्रकार है –

"मैं, _______ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। आवश्यकता पड़ने पर मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करुंगी।"

e) ऊपर उल्लिखित हस्तलिखित घोषणापत्र अभ्यर्थी के हस्तलेखन में और केवल अंग्रेजी में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा।

f) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

g) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर रखें, जिसे प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। आईबीपीएस/बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के माध्यम से कॉल लेटर के बारे में सूचना भेज सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:

अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर जाएं, करियर पेज पर क्लिक करें, फिर भर्ती पर क्लिक करें और उसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत केनरा बैंक में स्नातक शिक्षुओं की नियुक्ति लिंक पर क्लिक करें।

- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी मूल जानकारी दर्ज करके अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए "नए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा और वह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाले ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। अभ्यर्थी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को पुनः खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विवरण संपादित कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने और अपलोड करने के दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन भरते समय, अपने और अपने पिता/पति आदि के नाम की वर्तनी आवेदन पत्र में ठीक उसी प्रकार लिखनी चाहिए जैसी उनके प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन होने पर उनकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित की जा सकती है।
- ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम वही होना चाहिए जो एसएससी/एसएसएलसी/दसवीं कक्षा के अंक पत्र में है। यदि अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला है, तो वह बदला हुआ नाम राजपत्र अधिसूचना/विवाह प्रमाणपत्र के अनुसार होना चाहिए।
  - अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सभी स्थान भरने होंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन संभव/स्वीकार्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें। अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में गलत/झूठी जानकारी जमा करने पर उम्मीदवारी अमान्य हो जाएगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने के बाद, अभ्यर्थी को पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन का सिस्टम-जनरेटेड प्रिंट-आउट लेना चाहिए।
- आवेदन के सफल पंजीकरण पर जनरेट किए गए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल/एसएमएस सूचना, ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अभ्यर्थी के ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर सिस्टम-जनरेटेड पावती के रूप में भेजी जाएगी। यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे ऐसा मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।
- ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी प्रकार से अपूर्ण है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई उचित पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर के बिना/शुल्क भुगतान में विफलता, वैध नहीं माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- अंतिम ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की एक प्रति, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सहित, अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें।
- एक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक आवेदनों के मामले में, केवल नवीनतम वैध पूर्ण आवेदन ही सुरक्षित रखा जाएगा।

- आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाए जाते हैं, तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

- आवेदन में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

दस्तावेज़ों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा की स्कैन की गई (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

फोटो छवि: (**4.5 सेमी × 3.5 सेमी**)

- फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट स्टाइल का रंगीन फोटो होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर लिया गया हो।
- शांत चेहरे के साथ कैमरे की ओर सीधे देखें।
- यदि फोटो दिन में ली गई हो, तो सूरज के प्रकाश को अपने पीछे रखें, या खुद को छाया में रखें, ताकि आपकी आँखें सिकुड़ी न हो और कोई घना छाया न हो।
- यदि आपको फ़्लैश का उपयोग करना पड़े, तो सुनिश्चित करें कि कोई "आँख- लाल" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें।
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक टोपी पहनने की अनुमति है, लेकिन इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमान्य)।
- फ़ाइल का आकार 20kb–50 kb के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 kb से अधिक है, तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें।
- अपलोड की गई फोटो उचित आकार की और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होनी चाहिए।

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा चित्र:

- आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना होगा।
    a) आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमान्य)।
    b) फ़ाइल का आकार 10kb – 20kb के बीच होना चाहिए।
    c) सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक न हो।
    d) अपलोड किया गया हस्ताक्षर उचित आकार का और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले होना चाहिए।

- आवेदक को एक सफ़ेद कागज़ पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
    a) फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
    b) आयाम: 240 x 240 पिक्सेल, 200 डीपीआई (आवश्यक गुणवत्ता के लिए उपयुक्त) अर्थात 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊँचाई)
    c) फ़ाइल आकार: 20 KB – 50 KB
- आवेदक को घोषणा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखना होगा।
    a) फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
    b) आयाम: 800 x 400 पिक्सेल, 200 डीपीआई (आवश्यक गुणवत्ता के लिए उपयुक्त) अर्थात 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊँचाई)
    c) फ़ाइल आकार: 50 KB – 100 KB

- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही अपलोड की गई हो।

दस्तावेजों को स्कैन करना:

a) स्कैनर का रिज़ॉल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।

b) रंग को वास्तविक रंग पर सेट करें।

c) फ़ाइल का आकार ऊपर निर्दिष्ट अनुसार।

d) स्कैनर में छवि को फ़ोटोग्राफ़/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके छवि को अंतिम आकार (ऊपर निर्दिष्ट अनुसार) में क्रॉप करें।

e) छवि फ़ाइल JPG या JPEG प्रारुप में होनी चाहिए। एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg। फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर छवि के आयामों की जाँच की जा सकती है।

f) MS Windows/MS Office का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी MS Paint या MS Office Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारुप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारुप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को फ़ाइल मेनू में 'Save As' विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg प्रारुप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

a) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी को फोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे।

b) संबंधित लिंक पर क्लिक कर "फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा" अपलोड करें।

c) उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहाँ स्कैन की गई फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा, फ़ाइल सहेजी गई है।

d) उस पर क्लिक करके फ़ाइल चुनें।

e) 'खोलें/अपलोड करें' पर क्लिक करें।

f) यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।

g) अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधली होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, अपलोड नहीं करते।

नोट:

a) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

b) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि फोटो स्पष्ट है और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा - यदि लागू हो, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा - यदि लागू हो, पुनः अपलोड कर सकते हैं।

c) अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

d) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया जाने वाला फोटो आवश्यक आकार का हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

e) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

<u>भुगतान करने का माध्यम:</u>

अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करने का विकल्प है:

a) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उचित स्थानों पर विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के अंत में दिए गए " पूर्ण पंजीकरण" बटन पर क्लिक करना चाहिए। " पूर्ण पंजीकरण" बटन दबाने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में भरे गए प्रत्येक क्षेत्र की जाँच कर लें। अभ्यर्थी या उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन पत्र में ठीक उसी प्रकार लिखा होना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में लिखा है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र नहीं भर पा रहे हैं, तो वे पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकते हैं। डेटा सहेजने पर, सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड बताते हुए एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। वे अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को दोबारा खोल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विवरण संपादित कर सकते हैं। आवेदन पत्र पूरी तरह भरे जाने के बाद, अभ्यर्थी को डेटा जमा करना होगा।

b) ऑनलाइन आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

c) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीज़ा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है।

d) अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी निर्देशों का पालन कर सकते हैं और अपेक्षित विवरण भर सकते हैं।

e) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ पुनः लॉगिन करें और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार ऑनलाइन भुगतान करें।

f) लेनदेन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक ई-रसीद प्राप्त होगी।

g) अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि यदि यह प्राप्त नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल ना हुआ हो।

नोट:

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें, दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जिसमें शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान शामिल है, अभ्यर्थी को सिस्टम द्वारा जेनरेट किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सही हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे सुरक्षित रखना चाहिए। उन्हें यह प्रिंटआउट आईबीपीएस/बैंक को नहीं भेजा जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिस जिले से आवेदन किया गया है आदि को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के बारे में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत और अधूरे विवरण प्रस्तुत

करने या ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदन के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल/एसएमएस सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अभ्यर्थी के ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा उत्पन्न पावती के रूप में भेजी जाएगी। **यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो वे मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।**

किसी भी तरह से अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन, जैसे कि उचित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया गया हस्तलिखित घोषणापत्र/शुल्क/सूचना प्रभार का असफल भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क/सूचना प्रभार जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अधिक लोड/वेबसाइट जाम होने के कारण अधिकृत बैंक की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में कनेक्शन टूटने/असमर्थता/विफलता की संभावना से बचा जा सके।

कृपया नोट करें कि आवेदन करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया ही एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरे चरण स्वीकार नहीं किए जाएँगे और ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

8. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

अभ्यर्थी की पात्रता और पहचान की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल प्रति और उनकी स्वयं अभिप्रमाणित फोटोकॉपी नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा अभ्यर्थी को शिक्षुता कार्य योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में आगे भाग लेने की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

a) ऑनलाइन आवेदन का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।
b) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी/कक्षा दस प्रमाण पत्र)
c) पहचान के लिए कृपया पासपोर्ट/आधार कार्ड/पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र, जिस पर फोटो लगा हो, साथ लाएं।
d) एसएससी परीक्षा से लेकर उच्चतम उत्तीर्ण परीक्षा तक की मार्कशीट/प्रमाणपत्र। अंतिम वर्ष की शैक्षणिक डिग्री सहित शैक्षिक योग्यता के लिए व्यक्तिगत सेमेस्टर/वर्षवार मार्कशीट और प्रमाण पत्र। कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
e) ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर से संबंधित नही है, जिसे भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के

लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अधिसूचना की तिथि तक वैध होना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम सरकारी सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

g) "1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति" खंड के अनुसार आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के अनुसार राहत के लिए पात्र हैं।

h) पात्रता की पुष्टि हेतु कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज। नियुक्ति के समय या किसी भी स्तर पर प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य हो जाएगा।

9. सामान्य निर्देश

a) अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय विवरण भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

b) बैंक चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

c) आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले (यदि कोई हो) का विवरण देना होगा। बैंक स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड आदि का सत्यापन भी शामिल है। बैंक शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी भी चरण में ऐसे खुलासे और/या स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

d) इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/परिशिष्ट या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो)/ विवरण केवल बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.canarabank.bank.in→करियर →भर्ती→ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत केनरा बैंक में स्नातक शिक्षु की नियुक्ति पर प्रकाशित/ उपलब्ध कराए जाएँगे। बैंक की वेबसाइट पर डाली गई सभी अधिसूचनाओं/संचार को उन सभी अभ्यर्थियों को सूचना के रूप में माना जाएगा जिन्होंने उक्त परियोजना के लिए आवेदन किया है। प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए/चयनित नहीं हुए अभ्यर्थियों को कोई अलग संचार/सूचना नहीं भेजी जाएगी।

e) सभी पत्राचार केवल अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी पर ही किए जाएँगे और शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित बैंक से सभी संचार प्राप्त करने के लिए इसे सक्रिय रखना होगा।

f) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, अनारक्षित वर्ग के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे अनारक्षित वर्ग के लिए लागू सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

g) अधूरे आवेदन/सहायक दस्तावेजों के बिना आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। बैंक अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को प्राप्त करने/एकत्र करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

h) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर, जैसे कि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्रक आदि में और भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में, एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

i) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना स्वरूप न बदलें।

j) आवेदन जमा करते समय अभ्यर्थियों द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड किया जाना चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसकी प्रतियां सुरक्षित रखी जाएँ।

k) अभ्यर्थी की पात्रता, पात्रता की जाँच के चरण, चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य मामले में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। बैंक इस अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी पात्रता मानदंड और/या किसी भी अन्य नियम व शर्तों को परिवर्तित/ संशोधित /रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके

अतिरिक्त, बैंक अपने विवेकानुसार किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को आंशिक/पूर्ण रूप से रोकने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।

l) चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आयु, योग्यता आदि से संबंधित मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है, तो उसे शिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

m) केवल आवेदन प्रस्तुत करने और विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को स्पष्ट रूप से पूरा करने मात्र से ही अभ्यर्थी को शिक्षुता कार्यक्रम के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं बनता।

n) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन करके, अभ्यर्थी आवेदन में दी गई जानकारी को बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए उपयोग करने हेतु अपनी सहमति देते हैं।

o) अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में अपने खर्चे पर उपस्थित होना होगा। केनरा बैंक ऐसे किसी भी खर्च का भुगतान या प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

p) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल बेंगलूरु स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

q) प्रशिक्षण सीटों के लिए किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।

r) बैंक किसी भी अनधिकृत व्यक्ति/संस्था/वेबसाइट/नौकरी पोर्टल/सोशल मीडिया द्वारा जारी किसी भी विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी के आधार पर किए आवेदन को अस्वीकार किए जाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन विवरण किसी के साथ साझा/उल्लेख न करें।

s) यदि शिक्षु नियुक्ति के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार सहित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसका शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा समाप्त किया जा सकता है।

t) यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले ही जमा कर दें तथा बैंक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से यदि अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

10. घोषणाएँ:

इस परियोजना से संबंधित सभी घोषणाएं/विवरण केवल केनरा बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर समय-समय पर प्रकाशित किए जाएंगे।

दिनांक: 22.09.2025
स्थान: बेंगलूरु **महाप्रबंधक**

****** बैंक मुद्रण संबंधी किसी भी त्रुटि या चूक जिम्मेदार नहीं है। ******

***